

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 287 / 15

संस्थापन दिनांक:-22 / 02 / 15

फाईलिंग नं. 233504003422015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

विकास पिता विजय उइके
उम्र 24 वर्ष, निवासी गोविंद कॉलोनी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 21.07.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 09.05.2015 को 10:45 बजे या उसके लगभग आरा मशीन चौक के पास गोविंद कॉलोनी आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार तलवारनुमा हथियार जिसकी कुल लंबाई 24 इंच, चौड़ाई 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 09.05.2015 को उपनिरीक्षक प्रशांत शर्मा को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति आरा मशीन चौक आमला में हाथ में लोहे का धारदार तलवारनुमा हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह रहागीर साक्षी एवं हमराह स्टाफ के साथ बताये स्थान पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति आरा मशीन चौक के पास गोविंद कॉलोनी में हाथ में लोहे की धारदार तलवारनुमा हथियार लिये आते जाते लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा शस्त्र रखने के संबंध में लायसेंस कागजात पूछने पर न होना बताया जिस पर उसने अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र साक्षियों के समक्ष मौके पर जप्त किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 256 / 15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 आरोपी द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.05.2015 को 10:45 बजे या उसके लगभग आरा मशीन चौक के पास गोविंद कॉलोनी आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार तलवारनुमा हथियार जिसकी कुल लंबाई 24 इंच, चौड़ाई 3 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 09.05.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त होने पर वह रहागीर साक्षी यादोराव एवं गोलू के साथ आरा मशीन चौक के पास गोविंद कॉलोनी पहुंचा जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे की धारदार तलवारनुमा हथियार लिये आते जाते लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से अवैध हथियार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्रमांक 255/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी। साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया लोहे का तलवारनुमा चाकू आर्टिकल-ए है।

6 गोलू (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साथ ही उक्त साक्षियों ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी गोलू (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में

भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है । अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं ।

8 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) अपने न्यायालयीन कथन में कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर आरा मशीन चौक पर जाकर अभियुक्त को लोहे की धारदार तलवारनुमा हथियार लेकर लोगों को डराते धमकाते देखा जाना । तत्पश्चात् अभियुक्त को पकड़कर गवाहों के समक्ष हथियार को जप्त किया जाना एवं उसे गिरफ्तार किया जाना बताया है । उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 4 में आर्टिकल-ए को दिखाकर पूछे जाने पर उसने यह बताया है कि आर्टिकल-ए पर थाने की सील अंकित नहीं है । साथ ही उक्त साक्षी ने इसी पैरा में यह भी बताया है कि उसके द्वारा जप्तशुदा आयुध की नाप किस चीज से की गयी थी उसने उसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया है ।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में अभियुक्त से धारदार तलवारनुमा हथियार जप्त कर पुलिस के कब्जे में लिया जाना लेख किया गया है किंतु जप्ती पत्रक से यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त तलवारनुमा हथियार को जप्त किये जाने के बाद उसे पैकेट में बंद कर सील बंद किया गया अथवा नहीं । यदि कब्जे में लिये जाने के बाद उसे गवाहों के समक्ष सील बंद नहीं किया गया है तो यह युक्तियुक्त संदेह से परे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि न्यायालय में जो तलवारनुमा हथियार प्रस्तुत किया गया है वह वही हथियार है जो अभियुक्त से जप्त किया गया था । साथ ही विवेचक प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जप्तशुदा आयुध पर थाने की सील अंकित नहीं है । उसकी नाप किससे की गयी थी उसके संबंध में भी कोई भी स्पष्टीकरण उक्त साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं होता है । प्रकरण में मूल रोजनामचा सान्हा भी संलग्न नहीं किया गया है । तब ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था और वह अधिसूचना में वर्णित आकार प्रकार का है अथवा नहीं ।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.05.2015 को 10:45 बजे या उसके लगभग आरा मशीन चौक के पास गोविंद कॉलोनी आमला थाना आमला जिला बैतूल में सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे का धारदार तलवारनुमा हथियार प्रतिबंधित आकार का बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखा । अतः अभियुक्त विकास को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

11 प्रकरण में जप्त शुदा लोहे का तलवारनुमा हथियार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में

जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)